कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–824/ 1403 रायपुर, दिनांक 16 /07/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर
छत्तीसगढ़

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Bastar Division "Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area-8.346 ha. regarding.**
पंजीयन कमांक– FP/CG/OFC/42567/2019

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक अधि/ 1381 दिनांक 25.06.2020

=0=

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। नोडल कार्यालय के परीक्षण उपरांत निम्न कमियां परिलक्षित हुई हैः–

1. Form A Part-II के कालम नं. 2 में आरक्षित वन 3.704 हे. एवं संरक्षित वन 2.168 हे. दर्शित है। जबकि Form A Part-II के कालम नं. 15 में आरक्षित वन 2.168 हे. एवं संरक्षित वन 3.704 हे. दर्शित है जिससे विरोधाभास की स्थिति निर्मित हो रही है, स्थिति स्पष्ट करें।
2. Form A Part-II के कालम नं. 16 में मुख्य वन संरक्षक द्वारा किये जाने वाला पार्ट–3 अपलोड नहीं किया गया है। उसके स्थान पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) को लेख किया गया पत्र अपलोड किया गया है जिसे सुधार किया जावे।
3. वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्रदाय सत्यापित वेजीटेशन मैंप फार्म–ए पार्ट–2 के अतिरिक्त जानकारी में अपलोड करें।
4. मुख्य वन संरक्षक कार्यालय का टाईम लाईन की हस्ताक्षरित प्रति अप्राप्त है।
5. चेक लिस्ट अनुसार आवरण पत्र में 21 बिन्दुओं का विस्तारपूर्वक का उल्लेख नहीं किया गया है। इस हेतु नमूना संलग्न कर प्रेषित है जिस अनुसार आवरण पत्र तैयार कर प्रस्तुत करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर शीघ्र प्रेषित करें।

संलग्नः– आवरण पत्र का नमूना (3 पृष्ठीय)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 824/ 1404 रायपुर, दिनांक 16 /07/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

– **वन मंडलाधिकारी**, बस्तर वन मंडल, बस्तर, छत्तीसगढ़।
– **आवेदनकर्ता** प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
o/c छत्तीसगढ़

15/7/2020

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: **apccf-lm.cg@gov.in**

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–829/ 1336 नया रायपुर, दिनांक 08/07/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Mahasamund" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 5.923 ha. regarding**

पंजीयन क्रमांक –FP/CG/OFC/42358/2019 Date 05.11.2019

संदर्भ:– मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/तक. शा./ विविध/ 1564 दिनांक 18.02.2020

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट ब्रिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	GOI (MOEF) से संबंधित अभिलेख	
1.	**आवेदक विभाग का मांग पत्र–** आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड / छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर (छ0ग0) द्वारा महासमुंद जिले के महासमुंद वनमण्डल अंतर्गत 5.923 हे. वनभूमि पर Optical fiber laying हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत मांग की गई है।	1-1
2.	**रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति:–** प्रस्ताव का अनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/42881/2019 आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा कर दिया गया है।	2-3
3.	**वन क्षेत्र विवरण:–** आवेदनकर्ता छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर (छ0ग0) द्वारा महासमुंद जिले के महासमुंद वनमण्डल अंतर्गत वन परिक्षेत्र बसना, पिथौरा एवं सरायपाली के वनभूमि के आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि निम्नानुसार है:– आरक्षित वन 3. 537 हे0, संरक्षित वन 1.529 हे0, नारंगी क्षेत्र 0.483 हे0, एवं राजस्व वन भूमि 0.374 हे0 कुल 5. 923 हे0 वन भूमि है।	4-14
4.	**गैर वन क्षेत्र विवरण :–** महासमुंद वनमंडल के अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित गैर वन क्षेत्र का कुल रकबा 64.824 हे0 है।	15
5.	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर :–** प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	16-20
6.	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप :–** वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न।	21-32

7.	**प्रपत्र–4 में प्रस्ताव** :– भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारतनेट प्रोजेक्ट फेस – II के अंतर्गत छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर (छ0ग0) के द्वारा महासमुंद जिला के महासमुन्द वनमंडल अंतर्गत अधिनस्त ग्राम पंचायतो को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजुदा राईट–ऑफ–वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि 5.549 हे0 एवं राजस्व वनभूमि 0.374 हे. कुल 5.923 हे0 वनभूमि प्रस्तावित है। इसमें वृक्ष विदोहन नही होना है।	33-40
8.	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप** :– प्रस्ताव में प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप संलग्न है।	41-43
9.	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र** :– प्रस्ताव में न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	44
10.	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही** :– इस परियोजना अंतर्गत किसी भी प्रकार से अधिनियम उल्लंघन नही किया गया है।	45
11.	**वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा** :– भाग 1:– भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारतनेट प्रोजेक्ट फेस – II के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि 5.549 हे0 एवं राजस्व वनभूमि 0.374 हे. कुल 5.923 हे0 वनभूमि की अवश्यकता है। उपरोक्त केबल रूट की 0.50 मीटर चौड़ाई पर 1.65 मीटर की गहराई पर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य किया जाना है। भाग 2:– महासमुंद वनमंडल के अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि निम्नानुसार है:– आरक्षित वन 3.537 हे0, संरक्षित वन 1.529 हे0, नारंगी क्षेत्र 0.483 हे0, एवं राजस्व वन भूमि 0.374 हे0 कुल 5.923 हे0 वन भूमि है। वनभूमि का घनत्व 0.4 से 0.6 परियोजना की कुल लागत 131 करोड़ 02 लाख रूपये है शासन के निर्देशानुसार वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग (ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु) अनुमति प्रदान की जा सकती है।	46-64
12.	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र** :– प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नही हो रहे है।	65
13.	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/एफ –5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010)**:– संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।	66-69
14.	**जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में** :– महासमुंद जिले की कुल वन भूमि रकबा 100519 हे0 है।	70
15.	**व.सं.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे0 में** :– वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत 22 प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा 1680.959 हे0 है।	71
16.	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Catagory की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में** :– व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी ब्ंजंहवतल की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा निरंक है।	72
17.	**प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी** :– प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित नही है और न ही प्रस्तावित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नही है।	73
18.	**वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)** :– आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर बिलासपुर द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 25.11.2019 को जारी किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	74-75
19.	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र** :– प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है राजस्व वनभूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर बिलासपुर के पत्र क्रमांक 2914 दिनांक 25.11.2019 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गयी है। जो प्रस्ताव में संलग्न है।	76-79
20.	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र कमांक/एफ–7–22/2009/10–2 दिनांक 31/07/2009)** :– प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक – **FP/CG/OFC/42881/2019** एवं 24000.00 रू पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क आवेदक संस्थान द्वारा जमा किया गया है।	80

21.	**राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा** :– आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित वनभूमि के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्य क्षेत्र नही है के संबंध में अधोहस्ताक्षरी का प्रमाण पत्र संलग्न है।	81

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
3. भाग–4
4. टाईम लाईन

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /व. स. अ)
छत्तीसगढ़

4/07/2020